प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2015

विषयः-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-967/पीएसडीएफ/2015, दिनांक 13.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 37,69,15,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 19,36,00,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ छत्तीस लाख मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंकों तथा पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया ही किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक वित्त, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- योजना से आच्छादित ग्रामों की जनपदवार सूची उनमें की जाने वाले कार्यों की लागत सहित इस शासनादेश के संलग्न-1 के रूप में संलग्न है। इस आदेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इस सूची में उल्लिखित ग्रामों के विद्वुतीकरण हेतु किया जायेगा।

9- स्वीकृति धनराशि का उपयोग/व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10- योजना से अच्छादित ग्रामों की जनपदवार सूची, उनमें कराये जाने वाले कार्यों की लागत सहित, इस शासनादेश के साथ संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इस आदेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इस सूची में उल्लिखित ग्रामों के विद्वुतीकरण हेतु किया जायेगा।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 06- ग्रामीण विद्वुतीकरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्वुतीकरण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूॅजी - 30- निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-56/दस-2015, दिनांक 23 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नः- यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 24/558(1)/24-1-14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) विभाग।

5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in